संख्या-17/2026/269जे0/22-5-2026-300(52)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2025**

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी समसुदीन पुत्र श्री सलाउदीन के उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) की स्वीकृति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-7178/सामा-1(3)/304/ब0चि0धना0-समसुदीन/25, दिनांक 25-02-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय कारागार, वाराणसी निरूद्ध रहें सिद्धदोष बंदी समसुदीन श्री सलाउदीन के कारागार से दिनांक 24.12.2025 को जमानत पर रिहा होने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-126/2025/1615जे0/22-5-2025-300(52)/2027, दिनांक 26.12.2025 द्वारा उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध रहें सिद्धदोष बंदी समसुदीन पुत्र श्री सलाउदीन के कारागार से दिनांक 24.12.2025 को जमानत पर रिहा होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-126/2025/1615जे0/22-5-2025-300(52)/2027, दिनांक 26.12.2025 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तदनुसार आवश्यकय कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सूर्य प्रकाश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:17/2026/269जे0(1)/22-5-2026,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती